(105)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवसन विभाग

क्रमांक :– प.3(10)नविवि/3/2009 जयपुर, दिनांक 10.05.2010

परिपत्र

इस विभाग में ऐसे प्रकरण प्राप्त हो रहे है, जिनमें कृषि भूमि का रूपान्तरण/नियमन प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अनुसार पूर्व में कर दिया गया है, परन्तु बाद में प्रार्थी द्वारा उसी भूमि के अन्य प्रयोजनार्थ नियमन चाहा गया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी कृषि भूमि के एक बार जिस प्रयोजनार्थ नियमन/रूपान्तरण किया जा चुका है, यदि प्रार्थी उस भूमि का अन्य उपयोग करना चाहता है तो विधि अनुरूप परीक्षण करके तथा नियमानुसार शुल्क लेकर राजस्थान नगरपालिका (भू–उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना चाहिए। संबंधित निकाय द्वारा नये भू–उपयोग को ध्यान में रखते हुए पूर्व में जारी पट्टा समर्पित/निरस्त करते हुए नया पट्टा जारी किया जा सकेगा। ऐसी भूमि की पुनः 90–बी कराने व समर्पण की आवश्यकता नहीं होगी।

ह0
(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

(265)